[1]धारा 52 : स्त्रोत पर कर का संग्रहण *

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रचालक'' कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक ऐसी रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके माध्यम से अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गई करोधय पूर्तियों के कुल मूल्य के एक प्रतिशत् से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''कराधेय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य'' से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय पूर्तियों, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न है, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गई है, समग्र मूल्य अभिप्रेत है, जिसमें से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय पूर्तियों के समग्र मूल्य को घटा दिया गया है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करने की शक्ति, प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रहण किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रोनिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

[2][**परन्तु** आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

[3][**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित् किया जाता है कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख [4][7 फरवरी, 2019] होगी।]

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे तथा वित्तीय वर्ष के

---

1 धारा 52 को अधिसूचना क्रमांक 51/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

* इ-कामर्स औपरेटर से संबंधित, अधिसूचना क्रमांक 34/2023–केन्द्रीय कर, क्रमांक 36/2023–केन्द्रीय कर, क्रमांक 37/2023–केन्द्रीय कर।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

3 केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 [आदेश सं. 4/2018–केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित।

4 केन्द्रीय माल और सेवा कर (द्वितीय कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश संख्या 2/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 01.02.2019 द्वारा ''31 जनवरी, 2019'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

दौरान उक्त उपधारा के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रोनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

[5][**परन्तु** आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन संबंधी कार्यकलापों से भिन्न हैं, तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को इस प्रकार शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् [6][30 नवम्बर] या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहीत रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक के विवरण में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलैक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय का दावा करेगा।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तियों के ब्यौरों का, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के तत्समान ब्यौरों के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे, [7][धारा 37 या धारा 39] के अधीन पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत तत्समान ब्यौरों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो इस फर्क की दोनों व्यक्तियों को, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी फर्क की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकार द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें फर्क की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त

---

5 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा ''आने वाले सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील।

7 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''धारा 37'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा उस मास के जिसमें फर्क की सूचना दी गई थी, पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में प्रस्तुत जावक पूर्तियों के मूल्य से अधिक है।

(11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर का संदाय, जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर संगणित ब्याज सहित करेगा।

(12) उपायुक्त के रैंक से निम्न का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके दौरान प्रचालक से निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए उसे सूचना की तामील कर सकेगा–

(क) किसी अवधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत माल का स्टाक, जिसका प्रबंध ऐसे प्रचालक द्वारा किया जा रहा है और जिसके संबंध में ऐसे पूर्तिकारों ने कारबार के अतिरिक्त स्थानों के रूप में घोषणा की है,जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

[8]**[(15)** किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये नियत तारिख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।**]**

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''संबंधित पूर्तिकार'' पद से प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

उपयुक्त नियमः नियम 12, 66, 67 एवं 68

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–3क, जीएसटीआर–7, जीएसटीआर–7क, जीएसटीआर–8

---

8 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (15) अंतः स्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।